CNR No.-UPVR010053802026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

उपस्थितः संजीव शुक्ला (एच.जे.एस.)

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्याः-1772 सन् 2026</u>

1. सोमेश्वर सिंह पुत्र सोमनाथ सिंह
2. मंजेश सिंह उर्फ राघव सिंह पुत्र सोमेश्वर सिंह

निवासीगण मारिकपुर, थाना-चन्दवक जनपद जौनपुर, उ.प्र.

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मु0 अ 0 सं0- 155/2026

धारा-80(2),85,351(2)बी0 एन 0 एस 0

एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

थाना-सिगरा, जिला- वाराणसी।

<u>02-06-2026</u>

1- यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सोमेश्वर सिंह व मंजेश सिंह उर्फ राघव सिंह** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है।

3- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र भी दाखिल किया गया है।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी गंगाधर के द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी की पुत्री शिल्पा का विवाह दिनाँक 08.06.2019 को विपक्षी प्रिंस सिंह पुत्र सोमेश्वर सिंह निवासी ग्राम मारिकपुर थाना चन्दवक, जौनपुर के साथ हुआ था। प्रार्थी अपनी हैसियत के अनुसार विपक्षीगण को दान दहेज देकर अपनी पुत्री को विदा किया था। किन्तु विपक्षीगण प्रिंस पति, सोमेश्वर सिंह (ससुर), नीतू (सास), पियुश (देवर) व राघव सिंह (देवर) दहेज के रूप में 5,00,000/- रु० की मांग प्रार्थी की पुत्री से करने लगे। प्रार्थी की पुत्री द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर निरंतर प्रार्थी की पुत्री का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जाता रहा। प्रार्थी की पुत्री ने उक्त दहेज की मांग की बात जब अपने पिता से की तो प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को कई बार समझाया बुझाया गया। विपक्षीगण प्रार्थी के पुत्री को प्रार्थी की कृषि भूमि बेचकर दहेज की माँग पूरी करने की बात करने लगे। प्रार्थी की पुत्री द्वारा उक्त माँग पूरा करने से इंकार करने पर विपक्षीगण दिनांक 20/01/2025 को प्रार्थी की पुत्री को बुरी तरह मारा-पीटा जिसकी सूचना प्रार्थी की पुत्री ने पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को दिनांक 21.01.25 को दी जिसमें महिला सहायता प्रकोष्ठ वाराणसी को समझाया गया कि अनावश्यक उत्पीड़न न करें न ही दहेज की बात को लेकर उत्पीड़न करें। इसके बावजूद भी विपक्षीगण को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और प्रार्थी की पुत्री से

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.27 08:15:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बोलने लगे कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है तत्काल अपने बाप की जमीन बेचवाकर पांच लाख रुपया मंगवाओ नही तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रार्थी की पुत्री को विपक्षी पति के नुत्फे से एक पुत्र अनिकेत उम्र 6 वर्ष और पुत्री साची 3 वर्ष है। दिनांक 20/06/2025 को विपक्षीगण पुनः प्रार्थी की पुत्री को मारे पीटे, जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा थाना-सिगरा तथा चौकी इंचार्ज नगर निगम वाराणसी को दिया गया जिन्होने विपक्षीगण को समझा बुझा कर घरेलू मामला बताकर शांत करा दिया। विपक्षीगण के क्रूरता से परेशान होकर प्रार्थी की पुत्री जुलाई 2025 में अपने बच्चो को लेकर मुम्बई चली गयी तथा जीविकोपार्जन हेतु ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। विपक्षी प्रिंस सिंह दिनांक 02.04.2026 को प्रार्थी की पुत्री को दबाव देकर ट्रेन से वाराणसी लाया। प्रार्थी की पुत्री को प्रार्थी एवं प्रार्थी के पुत्री के मामा जयशंकर सिंह ने 2,50,000 रु० दिये जिसके सहयोग से जयप्रकाशनगर सिगरा वाराणसी में प्रार्थी के पुत्री ने 20.04.2026 को साँची ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन किया। 21.04.2026 को पुनः पुत्री ने फोन कर बताया कि विपक्षीगण उसकी मंगलसूत्र छीन लिए है और दहेज तुरन्त न देने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे है। दिनांक 24.04.2026 समय करीब 10.47 बजे सुबह प्रार्थी की पत्नी पूनम सिंह ने अपने मो0 नं0 9324878104 से पुत्री शिल्पा के मो0 नं0 8840306655 पर लगातार दो बार फोन किया गया तो प्रार्थी की पुत्री द्वारा फोन नही उठाया गया तीसरी बार फोन करने पर शिल्पा ने फोन उठाया और बताया कि विपक्षी सास नीतू सिंह प्रार्थी के नाती अनिकेत को लेकर चली गयी है और मुझे मारने की बात कर रहे है। मेरा सिर बहुत भारी है, कुछ ठीक नही लग रहा, पार्लर जा कर बात करूंगी। इतने में प्रिंस, सोमेश्वर सिंह ने एक सुर में कहे कि माधरचोद फोन कर रही है, फोन कट गय। विपक्षी सोमेश्वर ने मो0 नं0 8115025368 से प्रार्थी के मो0 नं0 7977206109 पर फोन कर समय करीब 12.04 बजे दोपहर में बताया कि तुम्हारी पुत्री ने आत्महत्या कर ली है और विपक्षी प्रिंस चिल्लाते हुए बोला कि उसे मार दिया है तुम को जो करना है कर लेना उसका काम हो गया है। प्रार्थी के घर वाले जब घटनास्थल जयप्रकाश नगर कालोनी स्थित मकान जिसका मालिक दीपक बरनवाल बताया गया के द्वितीय तल पर पहुँचे तो विपक्षीगण प्रार्थी की पुत्री का गला घोट कर हत्या कर दिये थे एवं देखा कि घटना को आत्महत्या का रुप देने के लिए पंखा पर केवल दुपट्टा को बाँधकर लटका दिए है। प्रार्थी की पुत्री मृत अवस्था में बिस्तर पर मृत पड़ी थी और प्रार्थी का नाती घटनास्थल पर नहीं था। प्रार्थी दिनांक 25.04.2026 को मुम्बई से आया है और प्रार्थना पत्र दे रहा है। उक्त के आधार पर थाना सिगरा, वाराणसी में अंतर्गत धारा-85,80(2),351(2) बी.एन.एस. व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

5- विवेचना के अनुक्रम में मृतका शिल्पा का पोस्टमार्टम कराया गया एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीः-

<u>Injury details-</u>

Injury No.1- Ligature mark all around neck is 43 x 2cm high up of neck obiliquely placed with a gap of 3cm over left side high up of neck. Ligature mark 7cm below right ear lobe and 4cm below left ear lobe. Upper end of ligature mark 17cm from top of head. Lower end of ligature mark 8cm above suprastemal notch. Lower end of ligature mark 144cm from right heel. Ligature mark on front of neck is 2cm hence the total body length is 163cm, skin under ligature is parchmentised, tissue underneath is ecchymosed.

चिकित्सक की राय में मृतका की मृत्यु का कारण **Asphyxia as a result of hanging** उल्लिखित है।

6- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थनागण/अभियुक्तगण अभियोजन के सम्पूर्ण कथानक से इंकार करते हैं वे बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्हें साजिशन झूठा फसाया गया है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गयी है और न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को रंजिशन मुकदमें में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराए जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 26.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

7- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा मृतका पिंकी कन्नौजिया के साथ क्रूरता करने एवं उसकी दहेज मृत्यु कारित करने का अपराध कारित किया गया है। मृतक की मृत्यु सात वर्ष के अन्दर अस्वाभाविक परिस्थितियों में उसके ससुराल में हुइ है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

8- मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा थाने से प्राप्त आख्या व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

9- मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री व कथित रूप से अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सोमेश्वर सिंह व मंजेश सिंह उर्फ राघव सिंह** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 02-06-2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O. Code-UP1900

Steno-Mohd Muqeem,